

आरक्षण सरकार  
समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग  
(समाज कल्याण निदेशालय)

पंजीकरण प्रमाण-पत्र के लिए काम

इस संस्थान (नाम) जीवन  
विस्तृत पता अशोकपुरा, इनादार, अजमेर  
के प्रबंधक (जिसे इसके पर्याप्त पंजीकरण प्रमाण-पत्र का धारक कहा गया है) को  
इसके द्वारा 01-12-2008 से 30-11-2014 तक (दोनों दिन  
शामिल) की अवधि के दौरान उक्त संस्थान की स्थापना अनुरक्षण के लिए पंजीकरण प्रमाण-पत्र  
निशक्तता (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण तथा संपूर्ण भागीदारी) के अधिनियम, 1995 तथा उसके  
नियमों के उपबंधों तथा उसके अंतर्गत जारी आदेश के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है,  
अर्थात् -

1. पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक संस्थान आवश्यकताओं को ये सुविधाएं प्रदान करेगा -
  - (क) वीटिक एवं पर्याप्त भोजन
  - (ख) पर्याप्त आवास-स्थान एवं स्वच्छता
  - (ग) उपयुक्त स्वास्थ्य देख-भाल एवं उपचार
  - (घ) मनोरंजन की सुविधाएं
  - (ङ) शिक्षा एवं व्यावसायिक या रोजगार प्रशिक्षण
2. लड़कियों के लिए आवासीय परिसर लड़कों के आवासीय परिसर से अलग होंगे।
3. पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक न तो स्वयं और न ही किसी अन्य व्यक्ति को तथा संस्थान के  
आवासी को अपने या किसी अन्य व्यक्ति के व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए लगाएगा।
4. पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक एक दंड रजिस्टर रखेगा तथा ऐसी स्थिति में उसमें दर्ज करेगा-
  - (क) आवासी का नाम
  - (ख) दंड के कारण
  - (ग) दंड का स्वरूप तथा अवधि
5. प्रबंधक एक आगनुक पुस्तिका तैयार करवाएगा जिसमें संस्थान के निरीक्षण के लिए लाइसेंस  
प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा संस्थान के निरीक्षण का अभिलेख रखा  
जाएगा। प्रबंधक, लाइसेंस प्राधिकारी को उक्त पुस्तिका में रिकार्ड अभिलेखितियां, यदि कोई है,  
की एक प्रति तैयारी की तिथि से सात दिन के भीतर भेजेगा।

6. प्रबंधक आय तथा व्यय की लेखा-पुस्तिकाओं तथा उपभोग्य वस्तुओं की स्टॉक पुस्तिकाओं का  
रख-रखाव निर्धारित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित रूप में पुस्तकों तथा रजिस्टरों में  
करेगा।
7. पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक सक्षम प्राधिकारी या इसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को जीव  
करने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा, जो निशक्तता (समान अवसर, अधिकार,  
संरक्षण एवं संपूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के उपबंधों के अनुसार होगा।
8. प्रमाण-पत्र, प्रबंधक के कार्यालय में स्पष्ट दिखाई देने वाले स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा।
9. पदाधिकारी में किसी भी परिवर्तन की सूचना सक्षम अधिकारी को तत्काल दी जाएगी।
10. पंजीकरण प्रमाण-पत्र निशक्तता (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं संपूर्ण भागीदारी  
अधिनियम, 1995 के उपबंधों तथा पंजीकरण प्रमाण-पत्र की शर्तों, नियमों तथा इसके अंतर्गत  
सभी आदेशों का पालन करेगा।

दिनांक : 1-12-2008

नवीकृत  
दिनांक ..... से ..... तक

नवीकृत  
दिनांक ..... से ..... तक

नवीकृत  
दिनांक ..... से ..... तक

  
सक्षम पदाधिकारी  
**निदेशक**  
समाज कल्याण  
आरक्षण, राजी  
सक्षम पदाधिकारी

सक्षम पदाधिकारी

सक्षम पदाधिकारी